न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 62/2010 रा.वा.

उनवान

1. श्री त्रिभुवननाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी न्यू शिव कोनोनी, डूंगरपुर हाउस के सामने, सीसारमा रोड, उदयपुर (राज.)

—वादी

बनाम

1. श्री सुन्दरनाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
2. श्री परमेश्वरनाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
3. श्री लहरनाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
4. श्री विश्वनाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
   समस्त प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक निवासीयान—51, कर्मशील मार्ग, ब्रह्मपोल अन्दर, उदयपुर (राज.)।
5. श्रीमती गोमती पत्नी वालजी डांगी उम्र बालिग
6. श्रीमती मोगी पत्नी पूंजाजी डांगी उम्र बालिग
7. श्रीमती दलु पत्नी मेगजी डांगी उम्र बालिग
8. श्रीमती नन्दु पत्नी पेमजी डांगी उम्र बालिग
9. श्रीमती रूपी पत्नी कानाजी डांगी उम्र बालिग
10. श्रीमती गंगा पत्नी रामींग डांगी
11. श्रीमती मोगी पत्नी लालजी डांगी उम्र बालिग
12. श्रीमती कड्डुवा पत्नी गोताजी डांगी उम्र बालिग
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर सलूम्बर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः— 03/09/25

उपस्थितिः श्री नारायणसिंह चूण्डावत अधिवक्ता—वादी
प्रतिवादीगण—एक पक्षीय

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसमे न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23—12—2024 द्वारा वादी का पांती बंटवाडा का एवं स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद स्वीकार कर प्रकरण मे बंटवाडे की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार झल्लारा के पत्रांक 344 दिनांक 17.06.2025 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक रिपोर्ट अन्तिम डिक्री करवाया जाना जाहिर किया है। वकील वादी को सुनने व पालना रिपोर्ट के

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये:– श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.

वाद संख्या–62/2010

उनवान–श्री त्रिभूवननाथ बनाम श्री सुन्दरनाथ व अन्य

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.

अवलोकन उपरान्त मौजा कल्याणा खुर्द जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 खाता संख्या 135 आराजी नम्बर 1028/2.7000, 1029/6.4500 कुल किता 02 कुल रकबा 9.1500 हैक्टेयर भूमि के आराजियात मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है–

1. खातेदार का नाम – श्री त्रिभूवननाथ पिता शम्भूनाथ पूरोहित सा. देह खातेदार के हिस्से आराजी नम्बर 1028/2 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1029/2 रकबा 1.2100 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.82 हैक्टेयर।
2. खातेदार का नाम– श्री सुन्दरनाथ पिता शम्भूनाथ हिस्सा 1/4, परमेश्वर पिता शम्भूनाथ हिस्सा 1/4, लहरनाथ पिता शम्भूनाथ हिस्सा 1/4, विश्वनाथ पिता शम्भूनाथ हिस्सा 1/4 जाति पुरोहित सा. खातेदार के नाम हिस्से अनुसार आराजी नम्बर 1028/1 रकबा 0.1950 हैक्टेयर, आराज़ी नम्बर 1029/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8350 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से दर्ज होगी।
3. आराजी नम्बर 1029/4 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म कु. प्रथम (रास्ता) मे खातेदार त्रिभूवननाथ सुन्दरनाथ परमेश्वरनाथ लहरनाथ विश्वनाथ पिता शम्भूनाथ पुरोहित का संयुक्त रूप से हिस्सा 3/10 तथा खातेदार श्रीमती गोमती पत्नी वालजी, मोगी पत्नी पूंजाजी, दलू पत्नी मेगजी, नन्दु पत्नी पेमजी, रूपी पत्नी कानजी, गंगा पत्नी रामिंग, मोगी पत्नी लालजी, कडुवा पत्नी गोताजी डांगी का संयुक्त रूप से हिस्सा 7/10 रहेगा।
4. इसी प्रकार आराजी नम्बर 1028/3 रकबा 1.8950 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1029/3 रकबा 4.550 हैक्टेयर भूमि मे खातेदार श्रीमती गोमती पत्नी वालजी हिस्सा 1/8, मोगी पत्नी पूंजाजी हिस्सा 1/8, दलू पत्नी मेगजी हिस्सा 1/8, नन्दु पत्नी पेमजी हिस्सा 1/8, रूपी पत्नी कानजी हिस्सा 1/8, गंगा पत्नी रामिंग हिस्सा 1/8, मोगी पत्नी लालजी हिस्सा 1/8, कडुवा पत्नी गोताजी हिस्सा 1/8 जाति डांगी सा देह खातेदार के दर्ज होगी।

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि माफिक निर्णय एवं बंटवाडे के वादी के हिस्से की आराजीयात की भूमि में बेजामजामत व दखलन्दाजी नही करे, ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो अथवा परिजनो से करावे। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण पांबद रहे।

माफिक निर्णय अंतिम डिक्री कायम हो। पालनार्थ निर्णय की एक प्रति भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा को भेजी जावे। तहसीलदार झल्लारा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे अपील अवधि समाप्त होने के उपरान्त निर्णय अनुसार पालना की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 03/09/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सलुम्बर

बइजलास श्री जगदीश चन्द्र बामनिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या–62/2010 रा.वा.

उनवान

1. श्री त्रिभुवननाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी न्यू शिव कोनोनी, डूंगरपुर हाउस के सामने, सीसारमा रोड, उदयपुर (राज.)

–वादी

बनाम

1. श्री सुन्दरनाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
2. श्री परमेश्वरनाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
3. श्री लहरनाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
4. श्री विश्वनाथ पिता स्व. शंभुनाथ पुरोहित, जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
   समस्त प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक निवासीयान–51, कर्मशील मार्ग, ब्रह्मपोल अन्दर, उदयपुर (राज.)।
5. श्रीमती गोमती पत्नी वालजी डांगी उम्र बालिग
6. श्रीमती मोगी पत्नी पूंजाजी डांगी उम्र बालिग
7. श्रीमती दलु पत्नी मेगजी डांगी उम्र बालिग
8. श्रीमती नन्दु पत्नी पेमजी डांगी उम्र बालिग
9. श्रीमती रूपी पत्नी कानाजी डांगी उम्र बालिग
10. श्रीमती गंगा पत्नी रामींग डांगी
11. श्रीमती मोगी पत्नी लालजी डांगी उम्र बालिग
12. श्रीमती कडुवा पत्नी गोताजी डांगी उम्र बालिग
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला-सलूम्बर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक:– 03/09/2025

वादी पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 रा.का.अ. के लिए दावा वादी की और से एडवोकेट श्री नारायणसिंह चूण्डावत एवं प्रतिवादीगण एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 03/09/2025 को अदालत मे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा कल्याणा खुर्द जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 खाता संख्या 135 आराजी नम्बर 1028/2.7000, 1029/6.4500 कुल किता 02 कुल रकबा 9.1500 हैक्टेयर भूमि के आराजियात मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है–

1. खातेदार का नाम – श्री त्रिभूवननाथ पिता शम्भूनाथ पूरोहित सा. देह खातेदार के हिस्से आराजी नम्बर 1028/2 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1029/2 रकबा 1.2100 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.82 हैक्टेयर भूमि।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

2. खातेदार का नाम– श्री सुन्दरनाथ पिता शम्भूनाथ हिस्सा 1/4, परमेश्वर पिता शम्भूनाथ हिस्सा 1/4, लहरनाथ पिता शम्भूनाथ हिस्सा 1/4, विश्वनाथ पिता शम्भूनाथ हिस्सा 1/4 जाति पुरोहित सा. खातेदार के नाम हिस्से अनुसार आराजी नम्बर 1028/1 रकबा 0.1950 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1029/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8350 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से दर्ज होगी।
3. आराजी नम्बर 1029/4 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म कु. प्रथम (रास्ता) मे खातेदार त्रिभूवननाथ सुन्दरनाथ परमेश्वरनाथ लहरनाथ विश्वनाथ पिता शम्भूनाथ पुरोहित का संयुक्त रूप से हिस्सा 3/10 तथा खातेदार श्रीमती गोमती पत्नी वालजी, मोगी पत्नी पूंजाजी, दलू पत्नी मेगजी, नन्दु पत्नी पेमजी, रूपी पत्नी कानजी, गंगा पत्नी रामिंग, मोगी पत्नी लालजी, कडुवा पत्नी गोताजी डांगी का संयुक्त रूप से हिस्सा 7/10 रहेगा।
4. इसी प्रकार आराजी नम्बर 1028/3 रकबा 1.8950 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1029/3 रकबा 4.550 हैक्टेयर भूमि मे खातेदार श्रीमती गोमती पत्नी वालजी हिस्सा 1/8, मोगी पत्नी पूंजाजी हिस्सा 1/8, दलू पत्नी मेगजी हिस्सा 1/8, नन्दु पत्नी पेमजी हिस्सा 1/8, रूपी पत्नी कानजी हिस्सा 1/8, गंगा पत्नी रामिंग हिस्सा 1/8, मोगी पत्नी लालजी हिस्सा 1/8, कडुवा पत्नी गोताजी हिस्सा 1/8 जाति डांगी सा देह खातेदार के दर्ज होगी।

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि माफिक निर्णय एवं बंटवाडे अनुसार वादी के हिस्से की आराजीयात की भूमि में बेजामजामत व दखलन्दाजी नही करे, ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो अथवा परिजनो से करावे। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण पांबद रहे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 03/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	01	—	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपयेपरलीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	05	—	योग	01	—

उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर